अत्यन्त महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक सी-273 / स0क0 / छात्रवृत्ति / 2022–23 दिनांक 24.06.22

समस्त संस्थान
तकनीकी / पॉलीटेक्निक / आई0टी0आई0 / महाविद्यालय /
डिग्री कॉलेज / मेडिकल / पैरामेडिकल / नर्सिंग / विश्वविद्यालय
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः– अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ट्रांजेक्शन फेल के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश सं0 108 / 2021 / 2499 / 26–3–2021–4(358) / 07 टी0सी0–III दिनांक 21.09.2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के नियम 13 के उपनियम (3) के अनुसार 'ट्रांजेक्शन फेल्ड / अवितरित बैंकों को वापस प्राप्त धनराशि को विभाग द्वारा शासन की अनुमाति के उपरान्त पुनः उन्हीं छात्र / छात्राओं के बैंक खातों में अन्तरण की कार्यवाही की जायेगी। पुनः ट्रांजेक्शन फेल्ड होने पर अवितरित वापस प्राप्त धनराशि राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा करा दिया जायेगा।'

उपरोक्तानुसार आज दिनांक 24.06.2022 को बैठक में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र, जिनका वर्ष 2021–22 में किन्ही कारणों से ट्रांजेकशन फेल हुआ है, उन सभी छात्रों को 03 दिवस के भीतर आधार कार्ड को बैंक खात से लिंक कराने, बैंक में लगी लिमिट हटवाने तथा पुराने बन्द पड़े खाते से आधार कार्ड को डिलिंक कराकर चालू खाते में लिंक कराने हेतु ई–मेल, व्हाट्सएप, नोटिस बोर्ड अथवा एस0एम0एस0 के माध्यम से अनिवार्यतः सूचित करना सुनिश्चित करें।

24/06/2022

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर